वित्त निर्देश 06/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 01.03.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।

संदर्भः-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 273/562/वि/नि/चार/02 दिनांक 5 अप्रैल, 2003
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.708/622/वि/नि/चार/2004 दिनांक 4 अगस्त 2004
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 237/622/वि/नि/चार/2004 दिनांक 10 अगस्त, 2007
4. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 265/237/वि/नि/चार/2007 दिनांक 5 सितंबर, 2007

———————

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की दरें निर्धारित की गई है। राज्य के शासकीय सेवकों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 392/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2009 दिनांक 5 दिसंबर 2009 द्वारा यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में शासकीय सेवकों की श्रेणी निर्धारित की गई थी, किन्तु दरों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था।

राज्य के शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ते की पात्रता एवं दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। प्रस्ताव पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा व्यापक

कर्मचारी हित में वर्तमान श्रेणीकरण, यात्रा भत्ता की दर एवं स्वरूप में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

1. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की वेतन सरंचना में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की संगणना के प्रयोजनार्थ वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 5 दिसंबर, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये श्रेणीकरण को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

श्रेणी ए- ` 10000 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी बी- ` 7600 या इससे अधिक किन्तु 10000 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी सी- ` 4400 या इससे अधिक किन्तु 7600 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

श्रेणी डी- ` 2400 या इससे अधिक किन्तु 4400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक।

श्रेणी ई- ` 2400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20 (सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी -

श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
ए	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	ए.सी. 2 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
सी	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
डी	-	-	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
ई	-	-	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं)

3. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी -

(अ) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(स) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

4. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी –

(अ) श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी सी के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।

(ब) श्रेणी डी के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

(स) श्रेणी ई के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।

5. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्ता की दरें निम्नानुसार होगी –

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति किलोमीटर)	अभ्युक्ति
ए एवं बी	स्वयं की कार टैक्सी (ए.सी. टैक्सी शामिल)	10 रूपये 14 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान ए. सी.)	10 रूपये 12 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर सायकिल अन्य साधन	4 रूपये 1 रूपये	

6. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर की श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है –

शासकीय सेवक की श्रेणी	**दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार**			**आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)**			**स्थानीय परिवहन प्रतिदिन**		
	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड
ए	500	400	300	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	300	250	200	5000	1500	750	800	400	250
सी	200	150	125	2000	750	375	400	250	150
डी	150	100	80	1000	500	250	200	150	100
ई	100	80	60	500	250	125	100	75	50

टीप:- **1.** नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2 (13)/2008–**E**, **II** (B) दिनांक 29.08.2008 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस इत्यादि में स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जाये।

3. होटल व्यय की उक्त सीमा सभी प्रकार के करों को शामिल करते हुए होगी। होटल में ठहरने पर होटल किराये की तथा स्थानीय यात्राओं के लिए माईलेज की किराये की रसीद यात्रा देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माईलेज की पात्रता केवल उस तिथि के लिये होगी, जिस तिथि में शासकीय सेवक द्वारा उक्त स्थान पर शासकीय कार्य संपादित किया गया हो, मुकाम की अवधि 6 घंटे से कम न हो तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया हो।

4. यदि शासकीय सेवक अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करता है, अर्थात् यदि वह अपने परिचित/रिश्तेदार के यहां ठहरता है अथवा कोई अन्य व्यवस्था करता है तो ठहरने हेतु व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि वह किसी दिन स्थानीय यात्रा हेतु किराये का वाहन उपयोग करता है तथा आंशिक रूप से भी

शासकीय वाहन का उपयोग नहीं करता है तो उपरोक्त पैरा के अनुसार वाहन किराये की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

5. मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता की पात्रता संशोधित दैनिक भत्ता के अनुसार होगा तथा इस हेतु लागू अन्य शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

6. दिल्ली प्रवास के दौरान प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को हवाई अड्डा/रेल्वे स्टेशन से छत्तीसगढ़ भवन तथा छ.ग. सदन आने के लिए टैक्सी की इंतजाम भी वाहन सुविधा में शामिल होगा। इन अधिकारियों को यह विकल्प भी होगा कि वे शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करते हुए उपरोक्तानुसार माईलेज प्राप्त करें।

7. अगर शासकीय सेवक किसी महानगर में केवल ट्रांजिट के लिए रूकता है एवं उस यात्रा में अपने परिवहन का साधन वायुयान से सड़क या रेल या इसके विपरीत बदलता है तो हवाई अड्डा से बस/रेल्वे स्टेशन अथवा इसके विपरीत तक की यात्रा हेतु पूरक नियम-23 के अनुसार स्थानीय परिवहन पर वास्तविक रूप से किये गये व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह पात्रता श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को दोनों स्थानों के मध्य टैक्सी किराये की सीमा तक तथा अन्य शासकीय सेवकों के मामले में आटो रिक्शा किराये की सीमा तक होगी। इस हेतु दावा पावती द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानीय यात्राओं के लिए शासकीय सेवक को यह विकल्प भी होगा कि वह या तो उपर्युक्त पूरक नियम-23 के अनुसार अथवा इस ज्ञापन के अनुसार माईलेज प्राप्त करें।

7. शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर की गई यात्रा हेतु वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 708/622/वि/नि/चार/2004 दिनांक 4 अगस्त, 2004 के अनुसार स्थानांतरण पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित स्थानांतरण अनुदान तथा निजी सामान के परिवहन संबंधी पात्रता एवं दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है -

(अ) स्थानांतरण अनुदान -

शासकीय सेवक की श्रेणी	**स्थानांतरण अनुदान की दर (रूपये)**
ए	8000
बी	6000
सी	5000
डी	4000
ई	2000

(ब) निजी सामान परिवहन –

शासकीय सेवक की श्रेणी	सड़क द्वारा (रूपये प्रति किलोमीटर)	रेल द्वारा
ए	18	6000 किलोग्राम
बी	18	6000 किलोग्राम
सी	15	5000 किलोग्राम
डी	9	3000 किलोग्राम
ई	5	1500 किलोग्राम

8. यह आदेश दिनांक 01.03.2011 या इसके पश्चात् प्रारंभ की गई यात्रा/निजी सामान के परिवहन पर लागू होगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाये कि यात्रा सक्षम स्वीकृति उपरांत मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इस आदेश के अंतर्गत किये गये व्यय विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हो।

10. ज्ञापन के संदर्भ में अंकित वित्त विभाग के समस्त ज्ञापन इस ज्ञापन के लागू होने की तिथि से अधिक्रमित माने जाएंगे।

11. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों में आवश्यक संशोधन अलग से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 46/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01.03.2011

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट

यात्रा भत्ता की गणना हेतु नगरों का वर्गीकरण

राज्य	X श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नगर	Y श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नगर
आंध्रप्रदेश	हैदराबाद (UA)	विजयवाड़ा(UA),वारंगल(UA),विशाखापट्टनम(UA), गुंटूर
असम		गुवाहाटी (UA)
बिहार		पटना (UA)
चंडीगढ़		चंडीगढ़
छत्तीसगढ़		दुर्ग-भिलाई (UA), रायपुर (UA)
दिल्ली	दिल्ली (UA)	
गुजरात		अहमदाबाद (UA), राजकोट (UA), जामनगर (UA), भावनगर (UA), वडोदा (UA), सूरत (UA)
हरियाणा		फरीदाबाद
जम्मू एवं कश्मीर		श्रीनगर (UA), जम्मू (UA)
झारखंड		जमशेदपुर (UA), धनबाद (UA), रांची (UA)
कर्नाटक	बेंगलूर (UA)	बेलगांव (UA), हुबली-धारवाड, मंगलौर (UA), मैसूर (UA)
केरल		कोचीकोड (UA), कोच्चि (UA), तिरूअनंतपुरम (UA)
मध्यप्रदेश		ग्वालियर (UA), इंदौर (UA) भोपाल (UA), जबलपुर (UA),
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (UA)	अमरावती, नागपुर (UA), औरंगाबाद (UA), नाशिक (UA), भिवंडी (UA), पुणे (UA), सोलापुर, कोलापुर (UA)
उड़ीसा		कटक (UA), भुवनेश्वर (UA)
पंजाब		अमृतसर (UA), जालंधर (UA), लुधियाना
पांडिचेरी		पांडिचेरी (UA)
राजस्थान		बीकानेर, जयपुर, जोधपुर (UA), कोटा (UA)
तमिलनाडु	चेन्नई (UA)	सलेम (UA), तिरूपुर (UA), कोयम्बटूर (UA), तिरूचिरापल्ली (UA), मदुरई (UA)
उत्तराखंड		देहरादून (UA)
उत्तरप्रदेश		मुरादाबाद, मेरठ (UA), गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा (UA), बरेली (UA), लखनऊ (UA), कानपुर (UA), इलाहाबाद (UA), गोरखपुर, वाराणसी (UA)
पश्चिम बंगाल	कोलकाता (UA)	आसनसोल (UA)

टीप :- ऐसे स्थान जो 'X' तथा 'Y' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं है, वे 'Z' श्रेणी में शामिल माने जाएंगे।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग